न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 29/2007

1 हरनाथ पुत्र सुरजाराम
2 जलेसिंह पुत्र सुरजाराम जाति मीणा निवासी ढाणी तन गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 ज्यानकी बेवाह स्व घीसाराम
2 मदनलाल दत्तक पुत्र बद्री
3 अमीचन्द पुत्र घीसाराम समस्त जाति मीणा नि. गुहाला तहसील नीमकाथाना, सीकर।
4 बनवारीलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी चला
5 दिलीप उर्फ पप्पू पुत्र बनवारी
6 बनवारीलाल पुत्र नामालूम समस्त जाति मीणा निवासी गिरधरपुरा तहसील उदयपुरवाटी हाल आबाद गुहाला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2007
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय नीमकाथाना
बसिलसिले मुकदमा उनवानी ज्यानकी आदि बनाम
हरनाथ आदि मु.नं. 179/2002 दावा स्थायी निषेधाज्ञा।
अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.टि. एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री लक्षमण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:-23-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 179/2002 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 2131 रकबा 2.93 हैक्टेयर तन ग्राम गुहाला तहसील नीमकाथाना स्थित है जो हमेशा से अपीलान्टान के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अपीलान्टान ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 2131/2 को अपनी भूमि खसरा नम्बर 2132 जो पूर्वी साईड में सींवा जोड स्थित है, उसमें मिलाकर एक भूखण्ड (प्लाट) बना रखा है और निरन्तर बहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते आ रहे है। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 2131/2 की खातेदारी गलत रूप से रेस्पोडेन्टान के हक में अंकित होने के आधार पर उन्होंने विवादित आराजी पर ऋण ले लिया ओर अपीलान्टान को भूमि सें वंचित रखने की नियत से एक सर्वथा गलत व आधारहीन दावा स्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना में प्रस्तुत किया जिसका अपीलान्टान ने जबाब दावा प्रस्तुत किया योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने दावा व जबाब दावा के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम की व दोनों पक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 का दावा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2007 के द्वारा विरूद्ध कानून डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 के अन्तर्गत तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं है। अपीलांट काबिज काश्त है। कब्जे के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में भी दावा किया गया था। यह वाद 1999 में खारिज हो गया था। उस वाद को पुनः नम्बर पर नहीं लेकर नवीन वाद प्रस्तुत कर विचाराधीन डिक्री प्राप्त की गई है जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 2131/2 वादीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण न तो खातेदार है, न ही प्रतिवादीगण के कब्जे का काई साक्ष्य पत्रावली पर है। विवादित भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण अपीलांट का घोषणा का वाद खारिज हो चुका है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि खसरा नम्बर 2131/2 वादीगण रेस्पोडेन्ट की खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादीगण न तो खातेदार है, न ही प्रतिवादीगण के कब्जे का काई साक्ष्य पत्रावली पर है। विवादित भूमि के संदर्भ में प्रतिवादीगण अपीलांट का घोषणा का वाद खारिज हो चुका है। विचारण न्यायालय ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन कर वाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सैंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर